T.D.C. Part-I, Paper-II (Hons)

Q. दीर्घकालीन संसद के कार्यों का अवलोकन करें।

Ans चार्ल्स प्रथम ने नवम्बर, 1640 ई० को विवश होकर पार्लियामेन्ट की एक बैठक बुलायी। यह पार्लियामेन्ट 20 वर्षों तक काम करती रही और कभी भंग नहीं हुई। इसलिये इतिहास में इस पार्लियामेन्ट को लम्बी पार्लियामेन्ट (Long Parliament) कहा जाता है। यह पार्लियामेन्ट 1640 ई० में बनी और राजा से भी अधिक दिनों तक जीवित रही। पार्लियामेन्ट चाहे जो कुछ भी हो लौंग पार्लियामेन्ट के सम्मुख जितने कार्य थे उन सभी कार्यों को निम्नलिखित भागों में बाँटा जा सकता है :-

(1) सर्वप्रथम पार्लियामेंट के सभी सदस्यों ने आपसी बैर-भाव को भुलाकर क्षति-पूर्ति और निर्दोष व्यक्तियों की मुक्ति के संबंध में विचार किया। चार्ल्स प्रथम ने 11 वर्षों के अनियन्त्रित शासन में बहुत से निर्दोष व्यक्तियों को पकड़-पकड़कर जेल में बन्द कर लिया था। जिससे लोगों को काफी आर्थिक क्षति उठानी पड़ी थी। फलतः निर्दोष जनता तबाह थी। उन सबों पर कहर की बिजली गिरा दी गई थी। अतः वे लोग मुक्त होने के लिए छटपटा रहे थे। लोगों के बीच असंतोष की भावना प्रबल हो उठी थी। इस समय लौंग पार्लियामेन्ट ने सभी निर्दोष कैदियों को कैद मुक्त कर दिया और उन सबों की जितनी आर्थिक क्षति हुई थी उसकी

पूर्ति कर दी और बहुत से लोगों को हर्जाना भी दिया गया।

(२) लौंग पार्लियामेन्ट का दूसरा कदम स्वेच्छाचारी न्यायालयों को नष्ट करना था। पार्लियामेन्ट ने इस दिशा में बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया। सभी स्वेच्छाचारी न्यायालय द्वारा राजा जनता को तबाह कर रही थी। प्रायः सभी जज राजा के इशारों पर नाचा करते थे। न्याय का गला घोंट कर सभी जज राजा की ओर फैसला सुनाया करते थे क्योंकि वे सभी राजा के प्रभाव में थे। अगर जज लोग राजा के पक्ष में फैसला नहीं देते तो उन सबों की खैरियत नहीं थी। उन्हें अपने नौकरी से भी हाथ धोना पड़ जाता था। इसलिए जज लोग ऐसा करने के लिए लाचार थे। पार्लियामेन्ट ने इस बुराई को बड़े ही निकट से देखा था। इस तरह पार्लियामेन्ट ने स्वेच्छाचारी न्यायालयों को खत्म कर दिया।

इतना ही नहीं राजा के मंत्रियों और अनुयाइयों पर कारवाई करने का प्रयत्न किया गया। पार्लियामेन्ट की बढ़ती हुई शक्ति और सत्ता को देखकर राजा के सभी मंत्री भयभीत हो गये। उन्हे अब अपने किये पर पछतावा हो रहा था और इसलिए वे लोग अपने निवास स्थान को त्यागकर भागने लगे। न्यायधीश फिन्च और विन्डवैक तो भाग कर ही अपने को बचा पाये और चार्ल्स के समर्थक जजों को जेल में बंद कर दिया गया।

स्ट्राफोर्ड पर राजद्रोह का अभियोग और उसकी हत्या → चार्ल्स प्रथम के निरंकुश शासन काल में इसके दो व्यक्ति सलाहकार थे। उन्हीं दोनों की वजह से इंगलैण्ड में सारी गड़बड़ी उत्पन्न हुई थी। इसलिए

T.D.C. Part-I, Paper-II (Hons)

पार्लियामेन्ट ने सर्व प्रथम उसके प्रमुख सलाहकार स्ट्राफोर्ड की खबर ली। वह इंगलैण्ड में इतना अधिक प्रसिद्ध हो गया था कि उसका मामला इंगलैण्ड के इतिहास में उपकथा (Episode) बन गया था। इसलिए सर्वप्रथम स्ट्राफोर्ड का प्रश्न ही गम्भीर रूप से पार्लियामेन्ट के सामने आया। उस पर राजद्रोह का अभियोग लगाया गया और 11 नवम्बर को स्ट्राफोर्ड कैद कर लिया गया। उसने राजा को पार्लियामेन्ट से स्वतंत्र होने में सहायता की थी। उसने साधारण जनता को सताया और इंगलैण्ड के प्राचीन संविधान को उलटने की चेष्टा की थी। यदि उसे फाँसी की सजा न दी जाती तो चार्ल्स उसे अवसर पाते ही फिर से अपना सलाहकार बना लेता। उसके लिए कॉमन सभा में "बिल ऑफ एटेन्डर" द्वारा उसे फाँसी दे दी। इस प्रकार पार्लियामेन्ट ने स्ट्राफोर्ड की जीवन लीला समाप्त कर दी।

लार्ड (Lord) की हत्या → चार्ल्स प्रथम का दूसरा सलाहकार विलियम लार्ड था। पार्लियामेन्ट ने उसे भी इन सारी अव्यवस्थाओं के लिए दोषी ठहराया और उसे भी फाँसी की सजा दी गई। लार्ड को भी वही दिन देखना पड़ा जो स्ट्राफोर्ड को देखना पड़ा था। उसे 1645 ई० में सूली पर चढ़ा दिया गया। इस तरह से अब पार्लियामेन्ट ने राजा के दोनों प्रसिद्ध सलाहकारों को समाप्त कर डाला।

(3) लौंग पार्लियामेन्ट का तीसरा प्रमुख काम, भविष्य में फिर से निरंकुश शासन की स्थापना नहीं हो, इसके लिए सुधार की योजनाएँ तैयार करना था। इस दिशा में लौंग पार्लियामेन्ट

Scanned with CamScanner

इंग्लैण्ड का इतिहास

ने कई महत्वपूर्ण काम किये। कई महत्वपूर्ण कानून भी पास किये गये, जो सभी संविधान के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण समझे जाते हैं। लौंग पार्लियामेन्ट ने इस दिशा में निम्न कार्य किये-

(i) लौंग पार्लियामेन्ट के प्रायः सभी सदस्य इस बात पर एकमत थे कि राजा के सब अधिकारों को सीमित कर दिया जाय और उसे कर वसूलने का अधिकार भी न दिया जाय। इतना ही नहीं, कुछ होकर लौंग पार्लियामेन्ट ने चार्ल्स प्रथम को बहुत कम दिनों के खर्च के लिए रुपया मंजूर किया। यह भी पार्लियामेंट ने पास कर दिया कि राजा बिना पार्लियामेन्ट की अनुमति से किसी भी तरह का कर नहीं लगा सकता है और यदि कानून का उल्लंघन कर किसी तरह का कर लगाता है तो वह नाजायज समझा जायगा।

(ii) त्रैवार्षिक कानून (Triennial act) → 15 फरवरी 1641 ई० को लौंग पार्लियामेन्ट ने एक कानून पास किया जिसे त्रैवार्षिक कानून कहा जाता है। यह कानून पार्लियामेन्ट के हक में बहुत ही महत्वपूर्ण था। इंग्लैण्ड में पहले इस तरह की प्रथा थी कि राजा ही पार्लियामेन्ट का अधिवेशन बुला सकता था और दूसरा कोई नहीं। कभी-कभी राजा कई वर्षों तक बिना पार्लियामेन्ट को बुलाये ही शासन करता रहता था। इस बुराई को पार्लियामेन्ट ने समझा और इसे नियन्त्रित करने के लिए त्रैवार्षिक कानून पास किया। इस कानून के अनुसार तीन वर्ष के अन्दर कम-से-कम पार्लियामेन्ट की बैठक एक बार अनिवार्य कर दी गयी। ऐसा भी हो सकता था कि राजा पार्लियामेन्ट की बैठक नहीं बुलावे, इससे बचने के लिए पार्लियामेन्ट के बुलाने का अधिकार Lord Chancellor को भी दिया गया।

Scanned with CamScanner

History Honours Paper-II

जुलाई, 1641 ई० में पार्लियामेन्ट ने एक कानून पास किया – Court of High Commission, Court of Star Chamber, the Court of Exchaquer, the special Court of the Ducky of Lancaster and Court of North and of Wales आदि कचहरियों को नष्ट कर दिया गया और इसके लिए भी एक कानून पास किया कि भविष्य में अब इस तरह की कचहरियों की स्थापना नहीं की जायगी।

(iii) पार्लियामेन्ट की बैठक को भंग, स्थगित और बरखास्त होने के विरुद्ध कानून :→ लौंग पार्लियामेन्ट ने अपनी स्थिति को हर तरह से सुदृढ़ कर लिया।

(iv) जंगल कानून और नाईट कानून रद्द कर दिया गया।

(v) अत्याचारी न्यायालयों को खत्म करना।

(vi) अनुचित करों को कानून बनाकर रद्द करना।

(vii) शान्ति और अशान्ति।

(viii) मंत्रियों को पार्लियामेन्ट के समक्ष उत्तरदायी बनाना।

अतः लौंग पार्लियामेन्ट ने निम्न तीन बातों को दृढ़तापूर्वक स्थापित करने की कोशिश की – (a) राज्य की आमद और खर्च पर पार्लियामेन्ट का पूरा-पूरा नियन्त्रण हो। (b) सभी मंत्री राजा के प्रति जवाबदेह न हों और (c) न्यायालयों की स्वतंत्रता की रक्षा की जाय।

Montague के शब्दों में → The responsibilities of ministers of Parliament, the power to purse in the House of Commons, the Supremacy of the Common Law and the regular courts of Justice, had been arrested beyond the possibility of doubt or dispute.

Digambar Jha